दुर्घटनाओं से हाने वाली मृत्यु का इलाज , दुर्घटना से बचाव

विश्वभर में दुर्घटना से 1.2 अरब मौते हर साल होती है जो कि किसी भी देश की तरक्की (जी0डी0पी0) का 4से 5 प्रतिशत खर्च है । हर एक मिनट में एक दुर्घटना व लगभग 4 मिनट में दुर्घटना से एक मौत होती है । हमारे देश में प्रतिव र्ा लगभग 15 प्रतिशत दुर्घनाओं से होने वाली मौतों की संख्या प्रतिव र्ा बढ रही है । एक सर्वे के अनुसार दुर्घटना से होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश महारा ट्रा पूरे देश में सबसे आगे है जिसमें उत्तर प्रदेश नम्बर 1 है।

दर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन 23 प्रतिशत , कार 10 प्रतिशत, ट्रक 20 प्रतिशत है। जिसमें से 50 प्रतिशत दुर्घटनाओं से होने वाली मौते बचाई जा सकती है , जरूरत है दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी व प्रशिक्षण, अस्पताल के बाहर दुर्घटना

के दौरान समय से दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार व ज्यादा घायल मरीज का समय से सही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेन्स व प्रशिक्षित प्रवधिज्ञ ।ज्यादा स ज्यादा लोग घायल मरीजों की मदद करे उनके पास जाये, एम्बुलेन्स बुलाये , व अस्पताल में भर्ती कराए इसके लिए 30 मार्च 2016 को सुप्रिम कोर्ट में गुड समेटेरियन नियम पारित किया है कि घायलों की मदद करने वालो ंको पुलिस व अस्पताल प्रशासन परेशान न करे , न उनसे पैसे, व नाम पता मॉगे ं।उन पर कोई कानूनी कार्यवाही न की जाय, जरूरत है लोगों को इस नियम के वारे में जागरूक करने की व प्रशासन इसे कडाई से लागू करें ।

इस संदर्भ में डा0 संदीप साहू एडिसनल प्रोफेसर एनेस्थीसिया व इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग संजय गॉधी पी0जी0आई0 लखनऊ) जो कि विश्व के सबसे बडे ट्रामा सेन्टर , मेरीलैन्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका से इमरजेन्सी एवं ट्रामा में प्रशिक्षित है का कहना है कि हमे अपने देश में एक एमरजेन्सी मेडिकल सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जो कि किसी भी एमरजेन्सी व दुर्घटना की स्थित में अस्पताल के बाहर से अस्पताल के अन्दर तक सुचारू रूप से काम करे ताकि हम अपने देश वासियों की जान बचा सके , इस को बनाने के लिए इसकों बनाने के लिए सरकार , न्यायपालिका, व्योरोक्रेसी , एनजियों ,आम व्यक्तियों के समन्वय की जरूरत है जिससे हम अपनी जरूरतों व कमियों के हिसाब से मेडिकल सिस्टम बना सकें जिसमें उचित प्रशिक्षण, नियम व कानून , पालिसी व जानकारी और इसके क्रियानवित करने के लिए इच्छा ाक्ति व आम जनता का सहयोग जरूरी है ।

इस मेडिकल सिस्टम का चार मुख्य पिलर है, पहला बचाव दूसरा अस्पताल के बाहर होने वाली इमरजेन्सी व दुर्घटनाओ का समय से उचित उपचार, तीसरा अस्पताल के अदर बगैर जुगड, सिफारिस, व

बगर किसी अन्तर के सबको उचित व समुचित उपचार चौथा उपचार के उपरान्त रिहैबिलेटेशन जिसमें उसकी मानसिक ाारीरिक आर्थिक व पारिवारिक समस्याओं का समुचित निवारण, ।

यह कहना अनुचित न होगा कि बचाव ही दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का सबसे आसान व उचित उपाय है अगर दुर्घटनाए ही न होगी तो बाकी और समस्याए ही न हो । इसके लिए दुर्घना से बचाव की ;।ठब्क्म्द्ध सस्तुत की गयी है । जो इस प्रकार है ।

ए– अपने एरिया में होने वाले दुर्घटनाओं का व्योरा इकट्ठा करना

बी– ओर उसके अनुसार सभी समुचित एजेनसियों को इकट्ठा करना

सी– ाासन प्रशासन से उपरोक्त अनुसार बात कर पालिसी बनाना

डी– बचाव के तरीके डिब्लप करना

ई– उपरोक्त प्रोग्राम को समय से जाचना व उसमें परिवर्तन लाना

बचाव के लिए चार चीजें अत्यन्त आवश्यक है वो है एजूकेशन, नियम व कानून का कडाई से पालन करना, सुरक्षित सडक व ट्रान्सर्पोट सिस्टम डिब्लप करना, सही लोगो को प्रोत्साहित करना व गलत व्यक्तियों को कडाई से दंड देना ।

उपरोक्त विधियों से विश्व भर के देशों ने अपने होने वाले दुर्घटनाओं व इनसे होने वाली मृत्यु को कम करके दिखाया है हम भी इसका लाभ उठा सकते है जरूरत है इच्छा ाक्ति व दृढ संकल्प, सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेन्सी व हमारे देशवासी मिलकर जैसे गन्दगी का सफाया कर रहे है दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का भी बचाव करे ।

डा0 संदीप साहू

एडिसनल प्रोफेसर

एनेस्थीसिया व इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग

संजय गॉधी पी0जी0आई0 लखनऊ

मो0 8004904598